एक्सक्लूसिव वीडियो क्लीपिंग्स

लूनावाड़ा में रेत में दबे कंकालों को निकालते परिजन

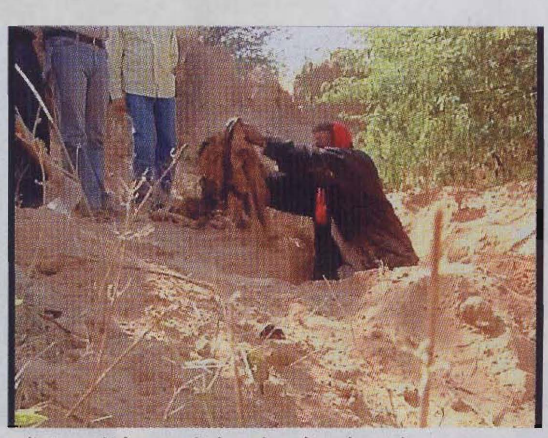

दबे कंकालों के साथ मिले पहने जाने वाले कपड़े

कंकालों का ढेर

जगाने वालों की आवाज को

दंगाई हत्यारों को सजा दिलाने की बजाय मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और

सुमंत भट्टाचार्य

देवबंद के दारुल उलूम के उप कुलपति मौलाना गुलाम मोहम्मद वसत्नावी जब गुजरात में मुसलमानों को 2002 भूल आगे बढ़ने की नसीहत दे रहे हैं तो मुमकिन है बहुत सी सच्चाइयों का उन्हें इल्म भी न हो। सन 2002 में गोधरा के बाद फैले मुस्लिम विरोधी दंगों में मारे गए तमाम लोगों के नातेदार आज भी दंगाई हत्यारों के खिलाफ मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। बात यहीं नहीं रुकती, सन 2002 में गोधरा दंगों के बाद पांडरवाड़ा के 28 मुसलमानों की लावारिस हालत में कंकालों की शक्ल में मिली लाशों के ढेर का राज एक पत्रकार के तौर पर देश के सामने लाने का साहस दिखाने वाले टीवी पत्रकार राहुल सिंह और नामचीन मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ आज गुजरात पुलिस के खौफ से अपनी आजादी की खैर मना रहे हैं। दरअसल मानवाधिकारों को ठेंगे पर रखने वाली अहम्मन्य सरकारों की एक ऐसी कोशिश छत्तीसगढ़ में डॉ. बिनायक सेन को सजा की शक्ल में सामने आ चुकी है, अब तैयारी गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार की है।

गौरतलब है, सन 2002 में गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में हुई घटना के बाद फैली मुस्लिम विरोधी हिंसा में पांडरवाड़ा के मारे गए तमाम लोगों में से 28 लोगों की लाशें तीन साल बाद कंकाल की शक्ल में 27 दिसंबर, 2005 में मिलीं। वह भी किसी कब्रिस्तान में नहीं, 28 किलोमीटर के फासले पर सरकारी अधिसूचित जमीन में दबी। जबकि लूनावाड़ा के कॉटेज अस्पताल में जख्मी हालत में भर्ती होने के बाद मरे इन सभी की मिट्टी के लिए अस्पताल के एक से डेढ़-दो किलोमीटर के फासले पर ही तीन कब्रिस्तान मौजूद हैं। लूनावाड़ा मामले में मृतकों के रिश्तेदारों के वकील सफी अहमद पटेल का कहना है, 'पुलिस की पूरी कार्रवाई का आधार रईस खान पठान, गुलाम गनी, सिकंदर अब्बास, कुतुब अयूब शाह और अनवर आदम की ओर से गोधरा के मजिस्ट्रेट के सामने अपराध दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दिए बयानों पर आधारित है।' रईस खान वह शख्स है जो पहले तीस्ता की संस्था सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस का सदस्य था पर 18 जनवरी 2008 को रईस खान को सीजेपी से निकाल दिया गया। तीस्ता के मुताबिक, 'अनैतिक व्यवहार और आय से ज्यादा संपत्ति की वजह से रईस खान को सीजेपी से निकाला गया।' सूत्रों के मुताबिक, अब रईस खान की मंशा तीस्ता से प्रतिशोध लेना है और ऐसे में तीस्ता और राहुल के विरोध में रईस खान गुजरात पुलिस के लिए आसान मोहरा साबित हुआ है।

गौरतलब है कि मृतकों की पहचान कोर्ट के आदेश पर हुई डीएनए जांच से हुई थी। गुजरात सरकार की नीयत पर सफी और भी कई सवाल उठाते हैं, आखिर आठ साल बाद भी क्यों गुजरात पुलिस दंगाई हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई? फिर इन सभी मृतकों का पोस्ट-मॉर्टम करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जबकि अदालत में जमा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लाशों का पोस्टमॉर्टम हुआ ही नहीं, क्योंकि एक से दूसरे पोस्ट-मॉर्टम के बीच बताया समय का फर्क कुछ मिनटों का है, जबकि एक पोस्ट-मॉर्टम में कम-से-कम दो घंटे का वक्त लगता ही है।

पैसे और ताकत, दोनों तरफ से मुझ पर दबाव है।

महबूब सफी
जन कार्यकर्ता

सफी पूछते हैं, 'कब्रिस्तान में लाशों को नहीं दफन कर क्यों वन विभाग की अधिसूचित जमीन पर लाशों को दबाया गया? यह जमीन जेसिंहपुर तालुका के लूनावाड़ा में वन विभाग में बतौर 29 + 69 नंबर दर्ज है। साफ जाहिर है कि कॉटेज अस्पताल के डॉक्टरों और लूनावाड़ा पुलिस की इस पूरी कार्रवाई के पीछे नीयत दंगाई हत्यारों को बचाना और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने देना है।'

आखिर क्यों मोदी सरकार नागरिकों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वालों को शिकार बनाना चाहती है? इसका जवाब सीजेपी की सचिव तीस्ता सीतलवाड़ देती हैं, 'नरेंद्र

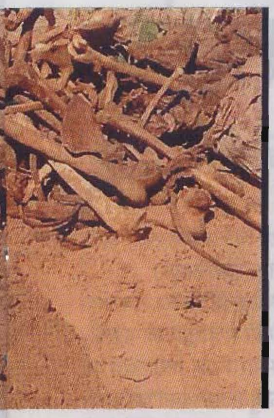

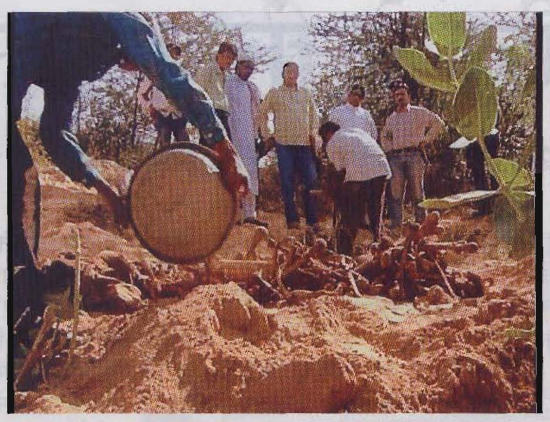

जारी तलाश

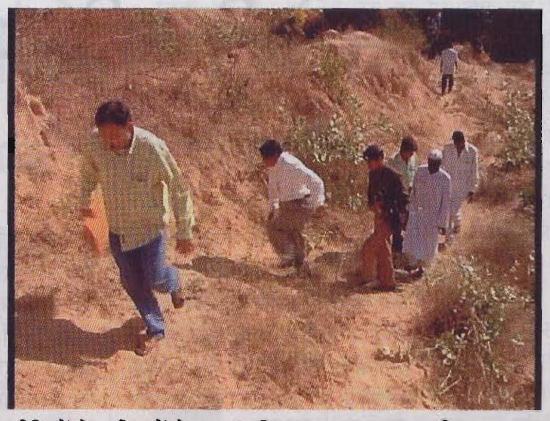

पीड़ितों के परिजनों के साथ पुलिस का एक जवान भी

कुचलने की पुलिसिया कोशिश

टेलीविजन पत्रकार राहुल सिंह के पीछे पड़ी है गुजरात की पुलिस

मोदी सरकार अपने पापों के दाग पोंछने के लिए उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाने पर ले रही है, जिन्होंने उसके धतकर्मों का भंडाफोड़ देश के सामने किया।'

रईस खान और अन्य तीन के बयान पर गुजरात पुलिस ने अदालत से सम्मन हासिल कर बीते 24 दिसंबर को राहुल सिंह के भोपाल स्थित घर पर धावा बोल दिया। गुजरात पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, रईस खान और अन्य चार ने बयान दिया है कि तीस्ता के कहने पर राहुल सिंह और अन्य ने मिलकर कंकालों को दूसरी जगह से लाकर पानम नदी के रेतीले तट पर दबाया। इस पर गुजरात पुलिस का आरोप है कि राहुल और तीस्ता ने न सिर्फ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की बल्कि गुजरात सरकार की छवि खराब करने की कोशिश भी की।

उधर राहुल सिंह कहते हैं, 'मुझ पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। गुजरात पुलिस चाहती है कि मैं तीस्ता के खिलाफ 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराऊं। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है यदि मैं गुजरात जाता हूं तो मुझे मालूम है कि मेरा क्या हाल किया जाएगा। दूसरा रास्ता यही है कि धारा 164 के तहत मैं तीस्ता सीतलवाड़ और दूसरे जिस किसी के बारे में गुजरात पुलिस कहे, बयान दूं।'

जबकि तीस्ता का आक्रामक रुख बरकरार है। कहती हैं, 'मुझे और राहुल को फंसाने के पीछे गुजरात सरकार की मंशा है कि गोधरा बाद हुए दंगों के कोई 350 दोषियों के खिलाफ अदालतों में डटे गवाह सहम जाएं और साक्ष्यों के अभाव में दोषी बरी हो सकें।' तीस्ता का मानना है, 'गोधरा बाद दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जमात में अपने लिए जगह नहीं बना पाए हैं।'

ऐसा कर नरेन्द्र मोदी सरकार अपने पापों को धोना चाहती है।

तीस्ता सीतलवाड़
सचिव, सीजेपी

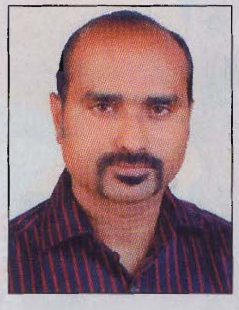

सच बयां करते पत्रकारों को सबक सिखाना चाहते हैं मोदी।

राहुल सिंह
टीवी पत्रकार

उधर, मामले में गुजरात पुलिस आधिकारिक तौर पर न तो कुछ स्वीकार कर रही है और न ही इनकार। मामले में तस्दीक कर रहे डिप्टी एसपी पीसी जोशी का कहना है कि पुलिस अब भी बयान दर्ज कर रही है। हालांकि बावजूद तमाम दिक्कतों के, लूनावाड़ा के महबूब सफी तीस्ता और राहुल के पक्ष में टिके हुए हैं। महबूब का कहना है, 'मुझ पर काफी दबाव है और हर तरह से मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसा और ताकत दोनों तरह से।'

आउटलुक के पास 27 दिसंबर 2005 की उस वक्त की मौजूद एक्सक्लूसिव वीडियो फिल्म खुद में बहुतेरी सच्चाई को बयां कर देती है। यदि रईस खान के बयान के आधार पर गुजरात पुलिस दावा करती है कि तीस्ता के कहने पर राहुल और अन्य ने कंकालों को दबाया और फिर निकाल कर चैनलों पर दिखाया तो क्या पांच साल तक गुजरात पुलिस को रईस खान के बयान का इंतजार था? कंकालों के वास्तविक स्थल तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई?

इस फुटेज में पुलिस का एक जवान भी मौजूद है और पत्रकार राहुल रेत में दबाई गई लाशों के कंकालों को निकालने में कहीं भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कंकालों के ढेर में से कुछ कपड़े भी मिले हैं। सभी वाकिफ हैं कि मुस्लिम रीति से किए गए अंतिम संस्कार में मृत शरीर के साथ कपड़े नहीं रहने दिए जाते। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब गुजरात पुलिस को देना है पर मकसद जब कुछ और हो तो फितरत तो कुछ और होगी ही। ●